

प्रमाणक,

महानिदेशक,

चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाये उ०प्र०

लखनऊ

सेवा में,

समस्त अपर निदेशक

पिति: रा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

उत्तर प्रदेश

पत्र सं०- अग्री०दर्श०/2013/२३७७

२७-
लखनऊ दिनांक ३० अगस्त 2013

रिक्षण: बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ऐडिसिन को संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विवरक उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-६ के कार्यालय ज्ञाप सं०- २१४/पाच-६-१०-२३-रिट/११ दिनांक ०४.०१.२०१२ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसकी प्रति अन्य के साथ आपको भी पृष्ठांकित है।

उक्त कार्यालय ज्ञाप की छाया प्रति आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि इसे अपने मण्डल के समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपेंगे स्तर से परिचालित करा दे तथा शासकीय आदेशानुसार कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भूमदीय

संयुक्त निदेशक
(अभिलेख दर्शन)

पत्र सं०- अग्री०दर्श०/2013/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-।

१. निजी सुधिय प्रमुख संघिय चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
२. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
३. निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उत्तर प्रदेश लखनऊ।
४. रामराम गुरुद्वारा चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
५. मान्दमान इन्डियन इंडियन बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ऐडिसिन उ०प्र० टॅक्स मार्केट, ८ लालनामा, लखनऊ प्र०ता० कार्यालय-१२७/२०४, 'एस' जूही कानपुर।

संयुक्त निदेशक
(अभिलेख दर्शन)

कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल लखनऊ।

पत्रांक: ए०डी०/ वि०आ०/ २०१३/ ६३१२-६

दिनांक: २१-७-१३

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त पत्र जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है के कम में इस निर्देश के साथ कि संलग्न शासकीय आदेशानुसार कार्यवाही का अनुपालन करते/ कराते हुये कृत कार्यवाही से महानिदेशालय व इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

- १- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ/ उन्नाव/ हरदोई/ खीरी/ सीतापुर/ रायबरेली।
- २- संयुक्त निदेशक(अभिलेख दर्शन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर निदेशक,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
लखनऊ मण्डल लखनऊ।